

बिहार सरकार

विधि विभाग

६५ ६२

प्रेषक,

विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव, बिहार, पटना।

सेवा में

महानंखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेलपथ, पटना।

दायरा

वित्त विभाग

पटना दिनांक....१६/०९/११.

क्रियाय: विधि विभाग में "बिहार स्टेट लीटीगेशन सेल" के गठन के निमित्त राजपत्रित/अराजपत्रित अस्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

2. 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में सरकारी मुकदमों के नियमित अनुश्रवण प्रणाली को विकसीत करने के उद्देश्य से विधि विभागीय अधिसूचना सं०-१८५३जे० दिनांक ३१.०३.२०११ द्वारा "बिहार राज्य मुकदमा नीति, २०११" (Bihar State Litigation Policy, 2011) का गठन किया गया है।

3. बिहार राज्य मुकदमा नीति को राज्य में पूर्णरूपेण प्रभावकारी बनाने तथा उसका नियमित अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। इसके तहत सभी विभागों/सभी जिलों/सभी अनुमंडलों से संबंधित मुकदमा नीति का अनुश्रवण का कार्य विधि विभाग के स्तर से किया जाना है। इसके निमित्त विधि विभाग बिहार स्टेट लीटीगेशन सेल के गठन हेतु निम्नांकित राजपत्रित एवं अराजपत्रित अस्थाई पदों का सृजन मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक १३.०९.११ के मद सं०-११ में प्राप्त स्वीकृति के फलस्वरूप सृजित किया जाता है:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पे-बैण्ड	ग्रेड-पे	पदों की संख्या
1.	अवर सचिव	१५६००-३९१००	पी०बी०-३	६६००	१ (एक)
2.	प्रशास्त्रा पदाधिकारी	९३००-३४८००	पी०बी०-२	४८००	१ (एक)
3.	सहायक	९३००-३४८००	पी०बी०-२	४६००	४ (चार)
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	५२००-२०२००	पी०बी०-१	२४००	२ (दो)

4. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप इसके स्थापना व्यय का विकलन बजट शीर्ष-२०५२-सचिवालय सामान्य सेवायें, लधु शीर्ष-०९०-सचिवालय उपशीर्ष-००१८ विधि विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत उपबंध से होगा एतद् संबंधी अनुमानित व्यय की विवरणी संलग्न है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग होंगे तथा इसकी निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से होगी।

6. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०-१०/यो०लीटी०गेशन सेल-१७/२०११प०-२२ट०.....

7. इसमें प्राधिकार पत्र में आवश्यकता नहीं है।

अनु०-यथाकथित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विनोद कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.....५४२.../जे०, पटना, दिनांक:-.....१६/०९/११.

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.....५४२.../जे०, पटना, दिनांक:-.....१६/०९/११.

प्रतिलिपि:-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना विधि विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव, बिहार।